(215)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर [म0प्र0]

COURT FEE 20 Rs. २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1-3243-III/13

1· मानिक लाल पटेल [पुत्र गण स्व· रामधार पटेल सभी निवासी
2· विनायक प्रसाद पटेल [नन्दनपुर तहसील मऊगंज जिला रीवा
3· श्यामसुन्दर पटेल [म0प्र0]

----आवेदकगण

बनाम

1· सत्यनारायण तनय पारसनाथ पटेल साकिन नन्दनपुर तहसील मऊगंज जिला रीवा [म0प्र0]
2· [illegible]

----अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि 26-8-13 को प्रस्तुत
26-8-13
बकाया बीडर कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
26-8-13 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 परिये प्रकरण क्रमांक 63/2/2012-13 आदेश दिनांक 28-2-2013 अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- - - - - - - - - - - - - - -

1· यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है।

2· यह कि आराजी नम्बर 273 आवेदक गण की पुस्तैनी भूमि है, जिसमें आवेदक गण का आंगन एवं निस्तार है । आराजी नम्बर 273/1 का अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा सीमांकन कराया गया है जिसमें आवेदक गणो को कोई सूचना इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया गया है । सूचना पत्र में एक ही व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न व्यक्तियो का हस्ताक्षर करके हल्का पटवारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 23-11-2012 को सुबह 8:00 बजे स्थल पर सीमांकन कार्यवाही की जायेगी, जिससे सीमावर्ती कृषक उपस्थित रहे और सीमांकन कार्यवाही में सहयोग करे एवं सीमांकन से अवगत हो, ऐसा उल्लेख [illegible] है । [illegible] से यह [illegible] होता है कि क्रमांक

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3243—तीन/2013 जिला— रीवा

मानिक लाल पटेल आदि विरूद्ध सत्यानारायण पटेल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—02—2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मऊगंज जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 6/अ—12/2012—2013 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28—02—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज, जिला—रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	